

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

आदेश संख्या/प्रा०शि०/396

/स०अ०(वि०शि०)/2025-26 दिनांक :- 20 दिसम्बर, 2025

सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के पद पर चयन हेतु विज्ञापन

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	20 दिसम्बर, 2025
ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि	08 जनवरी, 2026
ऑफलाइन आवेदन प्रेषित किये जाने का पता	कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

(क) स्थिति- सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) के रिक्त पदों का विवरण है:-

कुल रिक्त पद	पदों का विवरण					PH
	SC	ST	OBC	EWS	GEN	
24	05	01	03	02	13	01

नोट- उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुसार क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होंगे।

(ख) वेतनमान 35400-112400 (लेवल-6)

(ग) पात्रता- उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी, जिसने :-

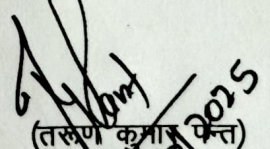
- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हों,
- (2) उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित 2025 में निहित प्राविधानों के अधीन भारतीय पुनर्वास परिषद (आर०सी०आई०) द्वारा मान्यता प्राप्त द्विबर्षीय डि०एड० (विशेष शिक्षा) तथा आर०सी०आई० द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा प्रशिक्षण उपाधि प्राप्त की हो, तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम उत्तीर्ण हो, (मूल अंक पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा)।
- (3) इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षक) को नियुक्ति के उपरान्त एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
- (4) उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2025 के नियम 15 (8) (6) के अनुसार "ऐसे शिक्षक जो पूर्व में विभाग अन्तर्गत समान पद पर कार्यरत हैं, (अर्थात् राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं) वे समान पद पर (अर्थात् राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर) पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।"

(घ) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है :-

- (i) उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी हो।
- (ii) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हो।
- (iii) उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-59 दिनांक 07.02.2019 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-164 दिनांक 28.06.2019 के अनुसार "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट एवं इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे, परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड से बाहर निवासरत हैं, के स्वयं

अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।"

- (ड) आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- (च) अभ्यर्थी की आयु-01 जुलाई 2025 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
- (छ) जो अभ्यर्थी, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उनका नियुक्ति हेतु कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।
- (ज) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के सभी स्तम्भ स्पष्टतः पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए तथा किसी भी स्तम्भ को अपूर्ण या रिक्त न छोड़े। अस्पष्ट, संदिग्ध तथा भ्रामक होने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (झ) सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो : परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।
- (ञ) आवेदन-अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय स्व प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ (आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक तथा पूर्णांक पृथक-पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें) स्वयं का पता लिखा लिफाफा 55/- के डाक टिकट सहित संलग्न कर प्रेषित करेंगे।
- चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की अंकनाओं व संलग्न शैक्षिक/प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच सम्बन्धित के मूल अभिलेखों से की जायेगी, जिसकी तिथि के सम्बन्ध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जायेगा।
- (ट) अन्तिम तिथि-पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट डाक द्वारा **दिनांक 08 जनवरी 2026 सायं 05 बजे** तक जिला शिक्षा अधिकारी (प्रांशि) पिथौरागढ़ के कार्यालय में स्वीकार किये जायेंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। साधारण डाक/कोरियर/दस्ती से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन पत्र के ऊपर लिफाफे पर मोटे अक्षरों में "सहायक अध्यापक प्राथमिक (विशेष शिक्षा) सम्बन्धित जनपद का नाम हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित" अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किये गये विलम्ब हेतु अद्योहस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।


(तरुण कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

कार्यालय : जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

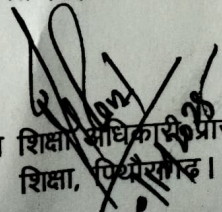
पृ०सं०/प्रांशि०/ 6364-66 /स०अ०(वि०शि०)/2025-26

20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि -

01-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा देहरादून को इस आशय के साथ की वे उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट www.schoolseducation.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

02- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पिथौरागढ़ को इस आशय के साथ की वे उक्त विज्ञप्ति को जनपद की साईट pithoragarh.nic.in अपलोड करने का कष्ट करेंगे।


जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।

आवेदन पत्र का प्रारूप

01. आवेदक का नाम—
02. माता का नाम—
03. पिता का नाम—
04. पति का नाम—
05. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)–
06. गृह जनपद (स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)–
07. स्थायी पता—
08. पत्र व्यवहार का पता—
09. विषय वर्ग (विज्ञान/विज्ञानेत्तर)–
10. दिनांक 01.07.2025 को आयु— वर्ष..... माह..... दिन.....
11. क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (प्रमाण पत्र संलग्न करें)–
12. मोबाईल नम्बर यदि हो तो—
13. शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता—

स्व प्रमाणित नवीन
फोटो चस्पा करें

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	विषय	प्राप्तोंक	पूर्णांक	प्रतिशत
1	हाईस्कूल						
2	इण्टरमीडिएट						
3	स्नातक						
4	शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा , डी0एड0)	सैद्धान्तिक					
		प्रयोगात्मक					
		योग					
5	यू.टी.ई.टी.।/ सी.टी.ई.टी.।						
6	अन्य योग्यता						

14. सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या एवं दिनांक –

15. संलग्नकों की संख्या/विवरण—

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.

दिनांक—

स्थान—

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम एवं पता)

अनुबन्ध पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु.....पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। यदि कोई तथ्य गलत पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के उपरान्त विभागीय निर्णय मुझे स्वीकार होगा।

दिनांक—

स्थान—

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम एवं पता)